

06⁹/₂₂

अपीलांर के अधिवक्ता उपस्थित। रैस्पॉंडें
सं. 2 व 3.1 के अधिवक्ता उपस्थित। किसानों
आदेश की पालना हेतु अधिवक्ता अपीलांर
की पूर्व में समुचित उत्तर दिया जा चुका
है। लिहाजा अपीलांर की अपील अदम

पालना न्यायालय आदेश में खारिज की जाती
है। फावली निर्णय शुमार होकर नंबर से कम
हों व दाखिल दफतर हों। अहीनस्थ न्यायालय
का अपीलाधीन अभिलेख लीया जाए।

10/2
जिला कलक्टर
बाडमेर